लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
088/2022 (GCMS 2022/452)	14.12.2022	23.12.2022

अनवान

रमेशचन्द्र पिता शंकरलाल कुमावत निवासी कासोद दरवाजा, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (मो.नं. 9928717001)

अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 01.09.2022 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./088/2022(सू.अ.)(21.12.2022)/943 दिनांक 14.12.2022 से लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़ को दिनांक 21.12.2022 से पूर्व कमेंट्स/टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 21.12.2022 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से सूचना देने पर भी अपीलार्थी नियत दिनांक को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्र क्रमांक/रसद/सू.का.अ./10/2022/643 दिनांक 16.12.2022 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार हैः–

यह कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत् आवेदन प्रस्तुत कर सूचना चाही गई थी। सूचना जिला रसद कार्यालय चित्तौड़गढ़ से संबंधित नहीं होने से संबंधित

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विभाग उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, चित्तौड़गढ़ को धारा 6(3) के तहत् जरिए पत्र क्रमांक/रसद/सू.अ./2022/376 दिनांक 02.09.2022 से स्थानान्तरित कर प्रार्थी को भी इसकी सूचना उसी दिवस जरिये पत्र भिजवाई गई। अतः अपील अपीलार्थी विचारणीय नहीं होकर खारिज योग्य हैं।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकरी चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्र क्रमांक/रसद/सू.का.अ./10/2022/643 दिनांक 16.12.2022 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का अवलोकन कर उस पर मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, चित्तौड़गढ़ से संबंधित होने के कारण अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत अपने पत्र क्रमांक/रसद/सू.अ./2022/376 दिनांक 02.09.2022 से स्थानान्तरित करते हुए अपीलार्थी को भी सूचित कर दिया गया हैं।

अधिनियम 2005 की धारा 6(3) में प्रावधित किया गया है कि यदि कोई आवेदन किसी लोक सूचना अधिकारी को ऐसी सूचना के लिये अनुरोध करते हुए किया जाता है कि जो किसी अन्य लोक प्राधिकारी द्वारा धारित है अथवा जिसकी विषय वस्तु किसी अन्य अधिकारी के कृत्यों से अधिक निकट रूप से संबंधित है, तो वह लोक अधिकारी, जिसके समक्ष ऐसा आवेदन प्रस्तुत किया गया है, ऐसे आवेदन या उसके ऐसे भाग को, जो समूचित हो, उस अन्य लोक प्राधिकारी को अन्तरित करेगा एवं अन्तरण की सूचना तुरंत आवेदक को भी देगा। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र द्वारा वांछित सूचना महिला एवं बाल विकास विभाग, चित्तौड़गढ़ से संबंधित होने से अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी का आवेदन अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत निर्धारित समयावधि में संबंधित लोक सूचना अधिकारी को स्थानान्तरित करते हुए अपीलार्थी को भी सूचित किया जा चुका हैं। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, चित्तौड़गढ़ द्वारा वांछित सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी के यहां अपील प्रस्तुत करने के परामर्श के साथ अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती हैं।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **23.12.2022** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

-SD-

(अरविन्द कुमार पोसवाल)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official